

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 2011

क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2 : भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं.16) की धारा 41, 42 सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

नियम 4 के उप-नियम (ख) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) के सरल क्रमांक (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“(नौ) बांस - 07 जिलों में - (1) सरगुजा (2) जशपुर (3) जांजगीर-चांपा (4) कोरबा (5) धमतरी (6) कवर्धा एवं (7) महासमुंद ।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(यूनुस अली)

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2 दिनांक 12/09/2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(यूनुस अली)

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

(105)

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FOREST DEPARTMENT
D.K.S BHAVAN, RAIPUR,**

// NOTIFICATION //

Raipur, dated 12 Sept., 2011

No. F 8-20/2008/10-2 : In exercise of the powers conferred by sections 41, 42 read with section 76 of Indian Forest Act, 1927 (No-16 of 1927), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, namely ;

AMENDMENT

In the said rules, -

After the number (viii) of sub-clause (a) of clause (2) of sub-rule (B) of rule 4, the following serial number shall be inserted, namely :-

"(ix) Bamboo - In 07 Districts- (1) Sarguja (2) Jashpur (3) Janjgir-Champa (4) Korba (5) Dhamtari (6) Kawardha and (7) Mahasamund."

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

42
(Yunus Ali) 12/9/11
Special Secretary to
Govt. of Chhattisgarh
Department of Forest